



कार्यालय
अधिकासी अभियन्ता
प्रा०ख०,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल



पत्रांक :- 1557 / 29mg
सेवा में,

दिनांक - 17/7/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कौजवे के निर्माण के संबंध में। (एफ०पी०/यू०के/रोड/20099/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार देहरादून के ऑनलाईन ई०डी०एस० दिनांक 15.05.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ऑनलाईन ई०डी०एस० द्वारा लगायी गयी। निम्नलिखित आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नवत निराकरण कर ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	For point no 1 – the case has all ready been closed Vide letter dt. 08-02-2018 अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात प्रस्तुत की गयी है। चूंकि प्रस्ताव को दिनांक 08.02.2018 में बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें। एवं साथ यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्ग दर्शी के पैरा (reopening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	महोदय इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० उत्तराखण्ड लो०नि०वि० देहरादून का पत्रांक 1120/यातायात (क)-उ०/2012 दिनांक 01.02.2013 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 250 की जनसंख्या से अधिक आवादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने वाले मोटर मार्ग को पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड द्वारा मार्गों का निर्माण किया जायेगा। उक्त निर्देश के कम में इस मोटर मार्ग को इस कार्यालय के पत्रांक 1146/29 एम०जी० दिनांक 19.07.2017 द्वारा अधिकासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० काठगोदाम को हस्तगत कर दिया गया था। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिस कारण प्रस्ताव के पूर्व अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने में विलम्ब हुआ है। अतः इस मार्ग की स्थानीय जनता की जरूरतों तथा मांग के आधार पर इस मार्ग मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। कृपया इस प्रस्ताव पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
2	For point no 2 –Details of Non-forest land has not been uploaded on nline portal, which is required to be done.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि इस मार्ग के समरेखण में मात्र आरक्षित वनभूमि प्रभावित होती है। जिसका विवरण फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा A-1 (VIII) अंकित किया गया है। तथा इस परियोजना में नॉन-फॉरेस्ट प्रभावित नहीं होती है। इसलिए ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा A-1 (IX) में शून्य अंकित किया गया है।
3	For point no 3 – Some other document found uploaded instead of authorization certificate. State Govt may upload the authorization certificate as additional information document on online portal.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि Authorization प्रमाण पत्र ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा A-3 (XVIII) में अपलोड कर दी गयी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न)
4	For point no 4 – Details of bridge and muck disposal not filled at para B 2.4 in Part I. State Government may upload	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि उक्त परियोजना मैदान क्षेत्र में प्रस्तावित है। जिस कारण इस परियोजना में सेतु तथा मलुवा निस्तारण नहीं किया जाना और न ही आवश्यकता है। इसलिए इसका विवरण ऑन लाईन फार्म-ए के

	the details of bridge in component wise breakup at para B 2.4 in Part I.	पार्ट- I के पैरा B-2.4 में कम्पोनैन्ट बाइंड ब्रेकअप अंकित नहीं किया गया है।
5	For point no 5 – On perusal of KML file of proposed area, cutting work seems to be done. State Government may submit the report of DFO in this regard.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड डल्हानी के ग्राम विजयपुर पहाड़वासी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कौजवे के निर्माण किया जाना है। तथा इसकी वास्तविक लम्बाई 1.70 किमी० एवं इस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी डल्हानी द्वारा पूर्व में कराया गया है। जिसका स्थलीय निरीक्षण आख्या आपके स्तर से फार्म-ए के पार्ट - II पैरा 15 एवं 16 में अपलोड किया जाना है।
6	For point no 6 – यदि प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र में स्थित है तो राज्य सरकार द्वारा encroachment के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट कराई जाये।	बिन्दु सं० 5 के अनुसार।
7	For point no 7 – Shape of KML file and digital map of proposed area are not matching. State Govt. may correct KML file and digital map of the proposed ensuring the shape is matching in both the files.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि सही के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट- I के पैरा C (b) में अपलोड कर दी गयी है।
8	For point no 8 – in place of Sol Toposheet, digital map found uploaded at para C ii in Part I. State Govt. may upload the Sol toposheet at para C ii in Part I online.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि टोपोसीट मैप को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट- I के पैरा C (ii) में अपलोड कर दी गयी है।
9	For point no 9 – Google earth image map found uploaded at para C iv in place of digital map. State Govt. may upload the geo-referenced digital map at para C iv in Part I online.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि जिओ रिफ्रैन्स मैप को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट- I के पैरा C (IV) में अपलोड कर दी गयी है।
10	For point no 10– Justification uploaded at para D found incomplete. State gov. may upload the complete justification at para D in Part I.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि जस्टीफिकेशन को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट- I के पैरा D (i) में अपलोड कर दी गयी है।
11	For point no 11 – Details of alternate not provided at para D ii (a). State govt. may upload the details of alternatives at para Dii (a) in Part I.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि अल्टरनेट डिटेल् को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट- I के पैरा D (ii) में अपलोड कर दी गयी है।
12	For point no 12 – 'Yes' is mentioned at para J in part I. State Government may submit comments in this regard.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि फाईल ऑन लाईन अपलोड करते समय त्रुटिवश फार्म-ए के पार्ट- I के पैरा J में 'yes' में अपलोड हो गया था जिसे सही अंकित कर दिया गया है।
13	For point no 13 – No detail is filled at para 4 in part II. State Govt. may do the needful in this regard.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि फार्म-ए के पार्ट- II के पैरा-IV में कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
14	For point no 14 – Photocopy of CA scheme uploaded in part II. State Govt. may upload original copy of the CA scheme.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि फार्म-ए के पार्ट- II के पैरा- IV में कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
15	For point no 15 – Scientific names of the trees are not mentioned in the tree enumeration list uploaded online state govt. may provided scientific name of the trees in the tree enumeration list uploaded online.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि वृक्षों की गणना सूची में वैज्ञानिक नाम अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

16	For point no 16 – Muck disposal plan found very sketchy. State Government may submit/ upload the clear and complete muck disposal plan including the all details duly approved by the DFO.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि यह मार्ग मैदान क्षेत्र में प्रस्तावित है। जिस कारण इस मार्ग निर्माण से लगभग 15288.00 घनमीटर मलुवा उत्सर्जित होना है। (आगणन ऑन लाईन अपलोड) तथा मार्ग को मोटर मार्ग में बनाये जाने हेतु 17593.75 घनमीटर मलुवे की आवश्यकता है जो उत्सर्जित मलुवे से 2305.75 घनमीटर मलुवा अधिक है। अतः 2305.75 घनमीटर मलुवे को अलग से स्टोन कैरर से क्य कर मरान किया जायेगा। जिसका प्राविधान डीपीआर में रखा जायेगा। इसलिए इस परियोजना हेतु मलुवा निस्तारण के लिए डम्पिंग यार्ड की आवश्यकता नहीं है।
17	For point no 17 – State Govt. may upload the administrative approval, NPV Sheet, aerial distance certificate and work not start certificate as the same are not found uploaded.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, एनपीवी प्रपत्र, हवाई दूरी का प्रमाण पत्र एवं कार्य प्रारम्भ ना होने का प्रमाण पत्र ऑन लाईन फार्म-ए पार्ट-1 के अतिरिक्त संलग्नक के रूप में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कृपया प्रस्ताव में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जा सकें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार। (कुल पृष्ठ)

अधिसासी अभियन्ता

प्रा० ख०, लो० नि० वि०

नैनीताल

पत्रांक :-

दिनांक -

प्रतिलिपि:-सहायक अभियन्ता प्रा०ख०, लो०नि०वि० नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता

प्रा० ख०, लो० नि० वि०

नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष न० 05942-235572 फैक्स न० 05942-233549 ई-मेल-eeepdpwdntl@gmail.com

दिनांक :- / /

पत्रांक :-
संख्या न०

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
काठगोदाम।

विषय:- 250 से अधिक आबादी के ग्रामों को संयोजकता हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० खण्डों द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या 112/0/यायायात
(क)-उ/ 2012 दिनांक 01.02.2013
एवं
आपका पत्रांक 587/1 सी० दिनांक 08.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र क क्रम में इस खण्ड से सम्बन्धित निम्नलिखित माटर मार्ग जो 250 की जनसंख्या से अधिक आबादी के ग्रामों को जोड़ते हैं। सम्बन्धित प्रकरण आपको मय संलग्नकों के साथ हस्तगत किये जा रहे हैं।

1. विजयपुर पहाडपानी मोटर मार्ग (मल्ला देवला से विजयपुर लम्बाई 2 किमी० (आबादी 278)

संलग्न:- वन भूमि प्रस्ताव की मूल प्रति (1 न०)

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
नैनीताल

पत्रांक - 1146/29MG Dt - 14/07/17
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ लो० नि० वि० हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, लो० नि० वि० नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता तृतीय, लो० नि० वि० नैनीताल का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
नैनीताल

Recd
20/7/17
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि०
काठगोदाम (नैनीताल)



Office of the Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Nainital



Phone/Fax - 05942- 235572/233549

E-Mail:- eepdpwdntl@gmail.com

No. :

1558/29 ng.

Date : 17/7/2021

Authority Letter

Er. Govind Singh Janoti, Assistant Engineer, Provincial Division, P.W.D., Nainital is hereby authorized for online submission of Forest proposals on behalf of Public Work Department (user agency).

(Er. Deepak Gupta)

Executive Engineer

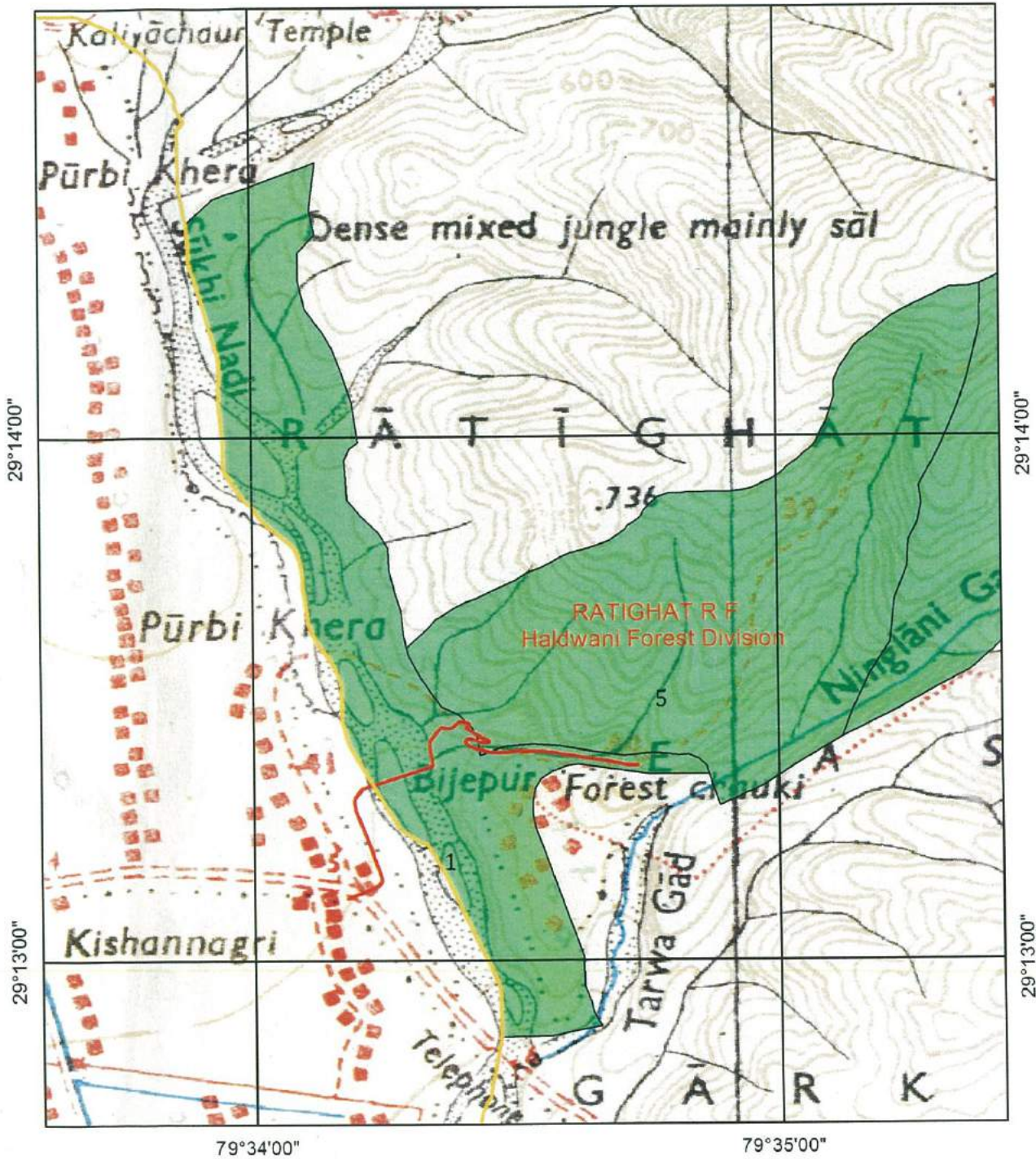
P.D., P.W.D., Nainital

डिजिटल मानचित्र- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में (विधानसभा क्षेत्र बालकुंआ) विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.000 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनःनिर्माण एवं सूखी नदी पर कौजवे का निर्माण। (लम्बाई 200 किमी०)

(वास्तविक ल० 1.70 कि०मी०)

79°34'00"

79°35'00"



Legend

- DumpingZone
- Road
- Alternate_Road
- Reserve Forest Area

ScaleBar

0.00 0.25 0.50 0.75
km

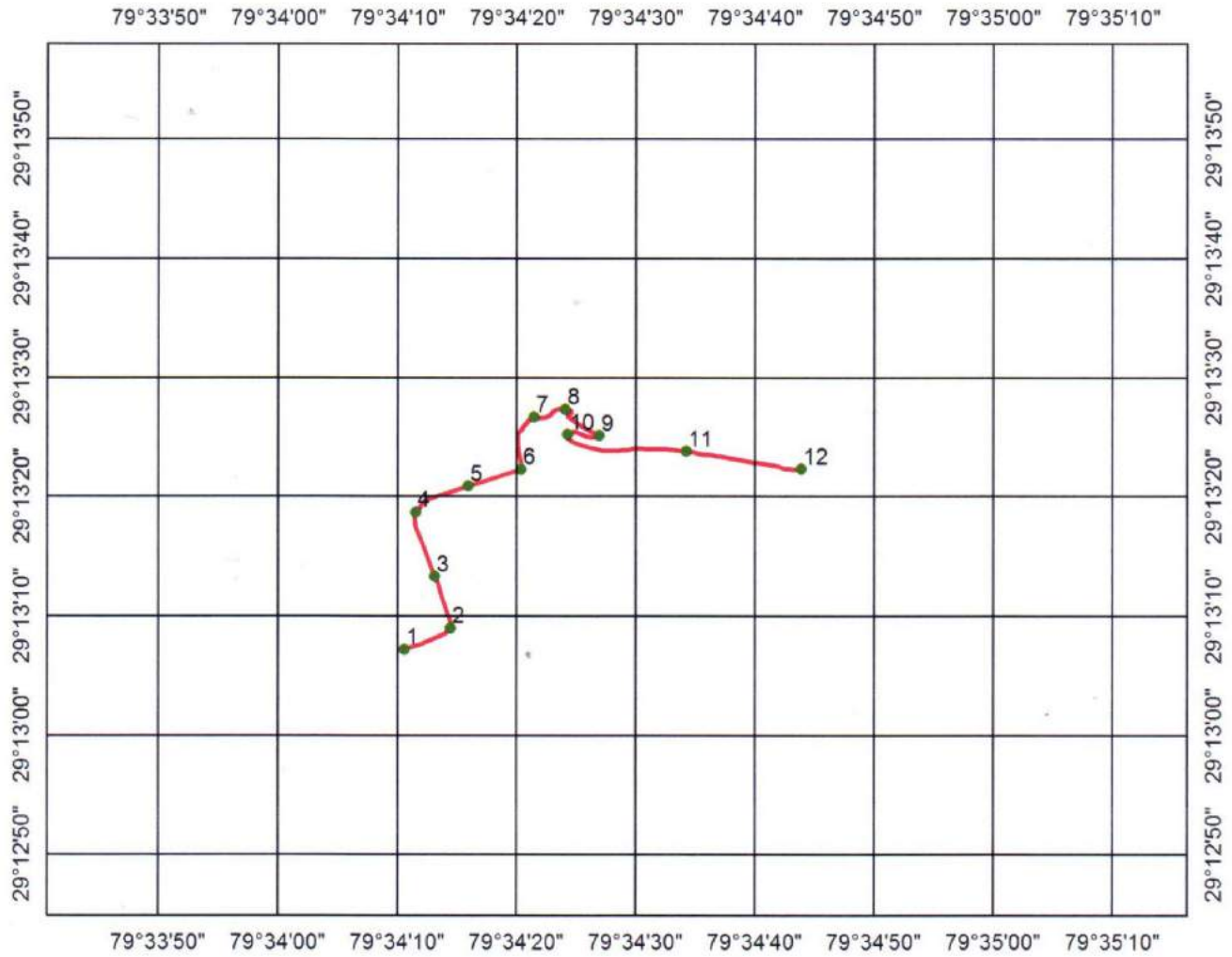
सहायक अधीक्षक
प्रमुख खण्ड, नैनीताल

अधीक्षक, नैनीताल
नैनीताल

प्रभागीय वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
नैनीताल

जियो रेफरेन्स मैप- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में (विधानसभा क्षेत्र लालकुआ) विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.000 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनःनिर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजवे का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी०)



Legend

● GPS_Points

— Road

ScaleBar

0.0 0.2 0.4 0.6
km

ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	79°34'10.62"E	29°13'7.24"N	7	79°34'21.48"E	29°13'26.71"N
2	79°34'14.45"E	29°13'9.01"N	8	79°34'24.09"E	29°13'27.34"N
3	79°34'13.14"E	29°13'13.33"N	9	79°34'26.94"E	29°13'25.13"N
4	79°34'11.56"E	29°13'18.69"N	10	79°34'24.26"E	29°13'25.24"N
5	79°34'15.95"E	29°13'20.88"N	11	79°34'34.24"E	29°13'23.84"N
6	79°34'20.39"E	29°13'22.32"N	12	79°34'43.89"E	29°13'22.34"N

Assistant Engineer Executive Engineer

Provincial Division Provincial Division

P.W.D. Nainital P.W.D. Nainital

प्रभागीय वनाधिकारी

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी (नम्बर)

हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी

हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी

File No-100/21

(NOTE CONTAINING JUSTIFICATION FOR FOREST LAND)

(प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काँजवे के निर्माण

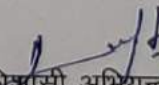
प्रस्तावित पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने से ग्राम विजयपुर को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा, जिनकी जनसंख्या 278 है। तथा इस ग्राम से लगे अन्य ग्रामों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इन ग्रामों की फसले, फल, सब्जी तथा दूध आदि को मुख्य बाजार तक ले जाने में मोटर मार्ग की सुविधा होगी।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं सूखी नदी पर काजवे निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा मिलेगी, वर्तमान में गाँव के पुरुषों व महिलाओं को गृह उपयोगी वस्तुओं को लाने व ले जाने के लिए बाजार पैदल जाना पड़ता है, जिससे की ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्षा काल में सूखी नदी पर पानी आने से ग्रामवासियों को कई दिनों तक राशन, फल, सब्जी तथा दूध आदि लाने-ले जाने के लिए पानी कम होन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा एवं सुगमता से सुविधाये मिलेगी।

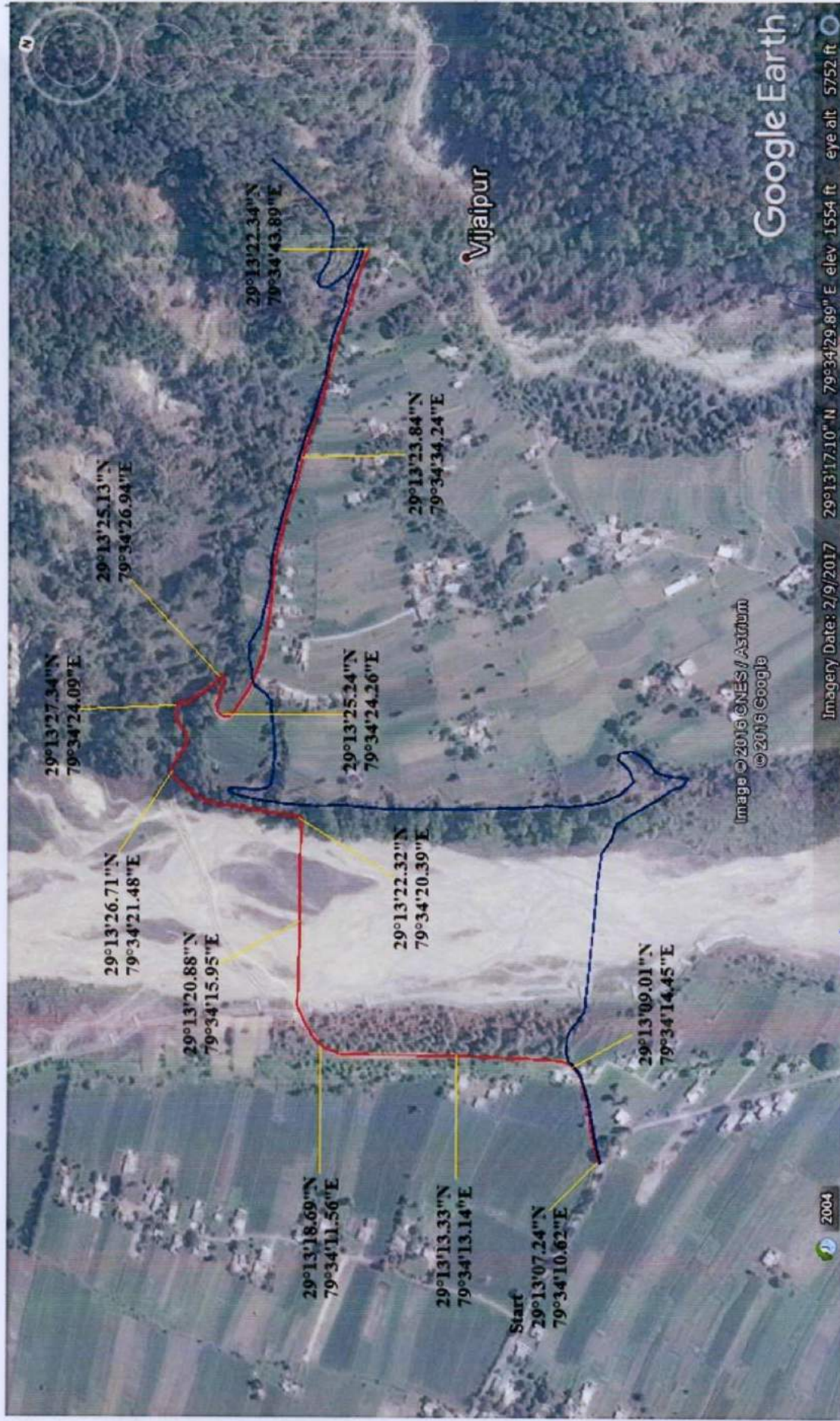
उक्त मोटर मार्ग एवं सूखी नदी पर काजवे निर्माण से चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार हो सकेगा जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस मोटर मार्ग एवं सूखी नदी पर काजवे के समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति एवं भू-गर्भवेत्ता द्वारा भी मोटर मार्ग एवं सूखी नदी पर काजवे निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस मोटर मार्ग एवं सूखी नदी पर काजवे के समरेखण में कुल 18 वृक्ष प्रभावित हो रही है।

उक्त मोटर मार्ग एवं सूखी नदी पर काजवे के समरेखण को वन भूमि से ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः इस मोटर मार्ग एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण जनहित में अतिआवश्यक है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।


अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

डिजिटल मानचित्र- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० ३७७ / २०१३ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में (विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ) विजयपुर पहाड़ानी पैदल मार्ग के किमी० ०.००० (देवल मल्ला) से किमी० २.०० तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनर्निर्माण एवं सूखी नदी पर कौजव का निर्माण। (लम्बाई २.०० किमी०)



Legend
Proposed Road
Alternate Road

[Signature]
J.E
Assistant Engineer
Provincial Division
P.W.D. Nainital

[Signature]
Executive Engineer
Provincial Division
P.W.D. Nainital
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी (नम्बोर)
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(13)

(17)

Statement of Alignment Of Road

कार्य का नाम:-माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में (विधानसभा क्षेत्र लालकुआं) विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी० ०.००० (देवल मल्ला) से किमी० २.०० तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्गका सुधारीकरण/पुनःनिर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजवे का निर्माण।

(वास्तविक ल० १.७० कि०मी०)

S.No.	Items	Comparison	
		Proposed alignment No.1 marked with red colour on map	Proposed alignment No.2 marked with green colour on
DETAIL OF ROUTE-VISE-TOPOGRAPGY OF THE AREA			
1	Main features and description of the alignment	The road take off from Dewal Malla to Vijaypur Pahadpani M/R.	The road take off from Dewal Malla to Vijaypur Pahadpani M/R.
2	Length of alignment from starting to terminal point	1.70 Km	2.00 Km
3	Geometric:-	-	-
3a	Gradient in different stretches of alignment	1:20 Rise, 1:24 Rise 1:40 Rise, 1:22 Rise & 1:24 Up to Level (Detail shown in L-Section)	1:10 Rise, 1:15, 1:17 & 1:24 Up to Level (Detail shown in L-Section)
3b	Curves, hairpin bends etc.	2	2
4	Terrain and soil conditions:-	Hilly Terrain	Hilly Terrain
4a	Geology of the area	Sub Himalayan mountains terrain	Sub Himalayan mountains terrain
4b	Road length passing through	Dewal malla	Dewal malla
i	Mountainous terrain (cross slopes 25% to 60%)	1.70 Km	2.00 Km
ii	Steep terrain (cross slopes greater than 60%)	-	-
iii	Rocky stretches with indication of the length on loose rock stretches	Nil	Nil
iv	Area subject to avalanches and snow drifts	Nil	Nil
5	Nature of soil:-	-	-
5a	Length of reaches with earth & boulders	Av. 1.00 Km	Av. 1.00 Km
5b	Length of reaches with medium rock/shale	Av. 0.70 Km	Av. 1.00 Km
5c	Length of reaches with hard rock/shale	Nil	Nil
5d	Length of reaches with very hard rock/shale	Nil	Nil
5e	Length of reaches/exception all hard rock/shale	Nil	Nil
6	Bridges:-		
6a i	Minor Bridge total No.	-	-
ii	Minor Bridge Range of span	Nil	Nil
iii	Minor Bridge total water ways	Nil	Nil
6b i	Major Bridge total No.	Nil	Nil
ii	Major Bridge Range of span	Nil	Nil
iii	Major Bridge total water ways	Nil	Nil

7	General elevation of the road:-	-	-
7a	Indication maximum and minimum heights negotiated by main ascent and descent	As per L-Section shown	As per L-Section shown
7b	Total No. of ascent and descent	As per L-Section shown	As per L-Section shown
7c	Length of cliff and gorges	Nil	Nil
8	Land type:-	-	-
8a	Right of way bring out constraints	Nil	Nil
8b	Approximate area and value	1.5 Hec. For 1.70 Km Length & 9.00 M Width	1.80 Hec. For 2.00 Km Length & 9.00 M Width
8c	Cultivated area	Nil hec.	Nil hec.
8d	Irrigated area	Nil hec.	Nil hec.
8e	Unirrigated area	1.53 Hec	1.80 Hec
9	Reach:-	-	-
9a	Existing means of inter-communication (mule path/Jeep tracks etc.)	Briddle Road	Briddle Road
9b	Relations of proposed alignment with existing	Proposed road from Mall Dewal to Vijaypur village.	Proposed road from Mall Dewal to Vijaypur village.
10	Quarries:-	-	-
10a	Availability of road contraction material	Haldwani	Haldwani
10b	Location of quarries	Haldwani	Haldwani
10c	Average leads	18 Km	18 Km
11	Resources:-	-	-
11a	Landing ground	Dewal Malla	Dewal Malla
11b	Dropping zones	Vijaypur	Vijaypur
11c	Food stuffs	Locally available	Locally available
11d	Labour (local availability and need for import)	Few labour locally available	Few labour locally available
11e	Construction material(sand,timber,stone, bamboo, shingle etc.) extent of their availability and lead involved	Stone and Sand locally available as per item No. 10b and other materials from Haldwani	Stone and Sand locally available as per item No. 10b and other materials from Haldwani
11f	Access point indication possibility	Haldwani	Haldwani
12	Climatic conditions:-	-	-
12a	Temperature monthly(max. & min. reading)	Maximum-44°C, Minimum-18°C	Maximum-44°C, Minimum-18°C
12b	Rain fall data average annual peaks intents	Not Available but heavy rain fall in rainy season	Not Available but heavy rain fall in rainy season
12c	Monthly distribution at extent available of road covered by now (average) and period	Nil	Nil
12d	Fog conditions	Normal	Normal
12e	Exposure to sun	Sunny face	Sunny face
13	Drainage characteristics of the including susceptibility to damages	Quick drainage	Quick drainage
14	Length of landslides	-	-
15	Length of stable areas	1.70 KM	2 KM

16	Length of heavy clearing	-	-
17	Length of marry or flooded area	Nil	Nil
18	Length of portion with loose rock	Nil	Nil
19	Period required for construction	2Years	2Years
20	Vegetation extent type	Agriculture	Agriculture
21	Political aspect:-	-	-
21a	Village falling on or within length of road	Dewal malla	Dewal malla
21b	1st to 2nd km of the alignment	Vijaypur	Vijaypur
21c	2nd to last km of alignment	Nil	Nil
22	Strategy consideration		
23	Economical and industrial consideration	Benefit to Farmers	Benefit to Farmers
24	Potential for development of tourism	Normal	Normal
25	Scope of agricultural and horticulture development	Good Scope	Good Scope
26	Extent of forest wealth	-	-
27	Prospect of development of minor or any other major development project being taken up in the example Hydro electric projects	Nil	Nil
28	Approximate cost of construction of each alignment	Rs 350.00 Lacs	Rs 350.00 Lacs
29	Merits and demerits	Merits:- Villages are agreed for this alignment. This alignment gradient are good. Demerits- 1 No. HP Band.	Merits:- Villages are agreed for this alignment. This alignment gradient are not good. Demerits- 2 No. HP Band.
30	Any other useful information(viz.other project being taken up area require completion of the work etc.	Nil	Nil
31	Population served by the proposed alignments (Name of village/Population based/Distance)	Vijaypur/.....	Vijaypur/.....
32	Other of Superintending Engineer with reasons	Recommended by section The Alignment No. 1	

Recommended for
approval for
alignment No 1
only

Junior Engineer
Pro. Div. P.W.D.
Nainital

Assistant Engineer
Pro. Div. P.W.D.
Nainital

Executive Engineer
Pro. Div. P.W.D.
Nainital

Alignment No ① जो कि map में लाल
रेखा से प्रदर्शित है, के अनुमोदन की संस्तुति
की जाती है;

बनविशाली अभियन्ता
राय कण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल,

प्रपत्र- 15.6

प्रकलन: बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० सं 0.00 (मल्ला देवला)से किमी० सं 1.70 तक मार्ग का सुधारीकरण, पुर्ननिर्माण व सूखी नदी पर कौजवे का निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि कालूखेड़ा 1 व रातीघाट क०सं० 5 में 1.53 है० का हस्तान्तरण में पहुँच मार्ग के निर्माण के सररेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची।

छकाता राजि

हल्द्वानी वन प्रभाग

वर्ष:- 2014-15

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	गुणक	कुल आयतन घ०मी०	दर प्रति घ०मी०	वृक्ष का कुल मूल्यांकन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कालूखेड़ा कक्ष सं० 1 रातीघाट क०सं० 5	साल	शोरिया रोबस्टा	50-60	1	2.294	2.294	30785	70620.79
				60-70	4	3.511	14.044	30785	432344.54
2		जामुन	सिजिजियम क्यूमिनि	40-50	1	1.020	1.020	4285.00	4370.70
				70-80	1	3.843	3.843	4285.00	16467.26
3		खैर	अकैशिया कटैचू	40-50	1	1.104	1.104	13863.00	15304.75
4		च्यूरा	डिप्लोनिमा ब्यूटिरेशिया	20-30	2	0.255	0.510	6314.00	3220.14
5		शहतूत	मोरस एल्बा	30-40	1	0.595	0.595	6314.00	3756.83
				40-50	1	1.104	1.104	6314.00	6970.66
6		हल्दू	एडाइना कार्डिफोलिया	70-80	1	4.360	4.360	14394.00	62757.84
7		रोहनी	मेलोटस इण्डिका	20-30	1	0.255	0.255	1184.00	301.92
				30-40	1	0.595	0.595	1184.00	704.48
8		धौला ढाक	इरिथ्रीरिना सूबेरोसा	20-30	2	0.595	1.190	2551.00	3035.69
9		गौजिना	फायकस आरनोटियाना	20-30	1	1.841	1.841	177.00	325.86
योग:-				-	18	-	-	-	620181.45
या:-									620181.00
कुल मूल्यांकन योग:- 18 वृक्ष = रुपये 620181.00 (रु० छः लाख बीस हजार एक सौ इकासी मात्र)									

हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

संख्या:- 5927 / 11(2) / 13-31(प्र0आ0) / 2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
प्रभासी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 22 नवम्बर, 2013

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

नहीं।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग040/कु040, लोनि0वि0, मीड़ी/अल्मोड़ा द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु संलग्न विवरणानुसार, उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल सम्बाई 132.75 किमी० + 08 सेतु तथा लागत ₹ 1468.00 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1462.95 लाख (रौबह करेडु असद लाख पिवानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शालु वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 24 कार्य हेतु ₹ 2.40 लाख (रौब दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके नियन्त्रण में रखे जाने की महामहिम की राज्यपाल निम्नोक्तित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदनुसार शासनादेश सं०-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें ई0बुल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर निर्देशानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उक्तका सामंजस्य विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मुख्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित दरों/विश्लेषण के अनुसरण ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन नदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी नद में किया जाय, एक नद का दूसरी नद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोच्योरमेन्ट रूल्स-2006 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गलत करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0सी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी रिपेयरिंग आदि मर्गों के सम्बन्ध में व्यावहारिक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापीरंक-5054 सहित तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/मकान/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृद्धि निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निगलन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photocopy
Attachee
Shukla
26/11

मिफना

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण वायित्त संबंधित अधिरासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सनात मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजन के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त नहीं जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विचरगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो भित्तिव्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(xiii)- उक्त 24 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 2.40 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 सं0-S1311220270 दिनांक 22-11-2013 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 535(A)/XXVII(2)/2013 दि0: 22 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथापरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 5927 (1)/(2)/13-31(आ0आ0)/2013 (तददिनांक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, गाजरा बेहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ संजुल, पोड़ी/गैनीतल।
3. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लॉ.नि.वि. पोड़ी/अलमोड़ा।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, बेहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकौष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित अधिरासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फ़ाइल।

अफसर से,

Mishra

(महिमा)

अनु सचिव

-4-

शासनादेश संख्या:- 5927/111(2)/13-31(प्रोआ0)/2013 दिनांक 21 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

10	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-42/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौखड़ा के अन्तर्गत संगलाकोटी भैरवांव गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली जंजेड़ी तक विस्तारिकरण का कार्य।	12.00	191.10 (₹ 72.30 + ₹ 118.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-830/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंज में दिवालीखाल- किमोली मोटर मार्ग का नारायणबगड़ से जोड़ने के लिए 10 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10.00	96.21 (₹ 58.50 + ₹ 37.71 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत एम0डी0डी0ए0 शिवलोक कालोनी को दीपनगर से जोड़ने हेतु रिखाना नदी पर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	20.00 mt	1.60	0.10
13	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-722/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में तड़ागताल में (बनान के पास 125 मी0 विस्तार के) झूला पुल का निर्माण।	125 mt	7.94 (₹ 75.1 + ₹ 0.43 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-319/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में ग्राम लक्ष्मपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/ ढांसरीकरण एवं सुखी नदी पर 60 00 मी0 स्लान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	3.00 + 60mt	29.55 (₹ 4.71 + ₹ 24.84 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
15	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़ानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/ पुनर्निर्माण सुखी नदी पर काजुरे का निर्माण।	2.00	19.46 (₹ 2.90 + ₹ 16.56 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-377/2013 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट में रेवती नदी (कपकोट) के स्थान होरुकला के समीप 30 मी0 पैदल जोड़ सेतु का निर्माण।	30mt	1.20	0.10
17	जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ में कुलसारी-आलकोट-धारवाहन मोटर मार्ग का ग्राम गैरवारम तक विस्तार हेतु कि0मी0 2.00 में मिसिंग लिंक मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	48 mt	3.36	0.10
18	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड-दुगड़डा में सिद्धबली मंदिर को जाने वाले पुराने मार्ग गांडीघाट ग्रास्टनगंज के मध्य खी नदी पर 105 मी0 स्लान डबल लेन आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेसड सेतु का निर्माण कार्य।	105 mt	11.62	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-243/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत करड़ा शिकारु मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	38.52 (₹ 3.32 + ₹ 35.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

Photocopy
Attached
Copy
G.E.T.

मिहान

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक ल० 1.7० कि०मी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है, कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी III
2. हरियाल का घनत्व 0.00 - 0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० 6,26,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.53 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 9,57,780.00

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

53

24

प्रपत्र - 19

परियोजना का नाम :-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक ल० 1.7० कि०मी०)

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 1०.49 किमी० है।

ह०/

प्रमाणित वनाधिकारी
हल्द्वानी वन विभाग
हल्द्वानी

प्रपत्र - 14परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक लं० 1.70 कि०मी०)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

अविभागीय अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

ह0

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी